



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 13.09.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 703/2023 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए पीली व सफेद धातु के आभूषण बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.09.2023 को वादी दीपक कुमार पुत्र नेपाल सिंह निवासी करुबा बागपत थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि ललित कुमार पुत्र नत्थूराम के यहाँ कार्यरत मजदूर नाम पता अज्ञात(वाईस्तवा) द्वारा उसके होटल से पीली व सफेद धातु के आभूषण एवं 15 हजार चोरी कर लिये हैं । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 703/2023 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 703/2023 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए आभूषणों में से पीली व सफेद धातु के आभूषण बरामद हुए हैं ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में प्राप्त साक्ष्य व बरामदगी के आधार पर धारा 457/411 भादवि की वृद्धि की गयी है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

महफूज उर्फ बोना पुत्र महमूद निवासी मौहल्ला केतीपुरा करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किए हुए पीली व सफेद धातु के आभूषण ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-है0का0 435 आलोक कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-का0 369 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत ।
- 4-का0 421 अंकुल कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 5-का0 293 अनुज कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत दिनांक 13.09.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-रिहान पुत्र छोटे निवासी ग्राम नंगला बहलोलपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

।

2-रवि पुत्र राजे नि० ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री ब्रजेश पौनिया थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-उ०नि० श्री सुभाषचन्द यादव थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-है०का० 540 राजेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4-का० 846 नरेन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 13.09.2023

थाना खेकड़ा पुलिस व एसओजी बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 375/23 धारा 392 भादवि में लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 लुटेरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से लूटा हुआ एक मोबाइल फोन व लूटे हुये 4200 रूपये, एक तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस, एक अवैध चाकू, एक अन्य मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 स्प्लेन्डर नं0 UP-17W-1526 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 11.09.2023 को थाना खेकड़ा पर वादी युनुस पुत्र रज्जाक निवासी नालापार कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसके पुत्र मोनिस से गांव फखरपुर से कस्बा खेकड़ा वाले रोड पर स्प्लेण्डर मोटरसाईकिल सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने तमंचा दिखा कर उसकी जेब में रखे 5000 रूपये और एक मोबाइल फोन लूट लिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 275/23 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं लूटेरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस एवं एसओजी बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 375/2023 धारा 392 भादवि में लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लूटा हुआ एक मोबाइल फोन व लूटे हुये 4200 रूपये, एक तमंचा .315 बोर मय

2 जिन्दा कारतूस, एक अवैध चाकू , एक अन्य मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 स्प्लेन्डर नं0 UP-17W-1526 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-फिरोज पुत्र जाहिद निवासी ग्राम दौलतपुर थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 2-आकिल पुत्र नवाब निवासी ग्राम दौलतपुर थाना बालैनी जनपद बागपत।
3. तोशीफ पुत्र मुन्तयाज ग्राम दौलतपुर थाना बालैनी जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- लूटा हुआ एक मोबाइल फोन।
- लूटे हुये 4200 रूपये।
- एक तमंचा .315 बोर मय 2 जिन्दा कारतूस।
- एक अवैध चाकू।
- एक अन्य मोबाइल फोन।
- घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 स्प्लेन्डर नं0 UP-17W-1526

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-निरीक्षक रवेन्द्र पलावत एसओजी प्रभारी मय टीम।
- 2-उ0नि0 महावीर सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3-उ0नि0 धनवीर सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 4-है0का0 339 राकेश कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 5-है0का0 292 सिराज खान थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 6-है0का0 14 प्रशान्त तालान थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 7-है0 का0 442 मौ0 आफाक थाना खेकडा जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक:- 13.09.2023

थाना बडौत पुलिस ने 1 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व

पता-

ओमपाल पुत्र विनोद निवासी ग्राम बाम थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री दिग्विजय सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-का0 949 विकास तालान थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 13.09.2023

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 251/2023 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 03 मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12/09/2023 को थाना रमाला पर विशाल कुमार पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम बदरखा थाना-छपरौली ने सूचना दी कि 03 अज्ञात चोरों द्वारा उसके ई-रिक्शा में रखे थैले में से 03 मोबाइल चोरी कर लिये हैं । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं 251/2023 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 251/2023 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 03 मोबाइल बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-शुभम पुत्र राजवीर निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत।
- 2-सूरज पुत्र रामपाल निवासी बासौली थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-अमन पुत्र राजवीर निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किये हुये 03 मोबाईल फोन बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 924 विशाल वासुदेव थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनाँक 13.09.2023

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 209/23 धारा 323/504/506/308 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 13.09.23 को थाना छपरौली पर वादी सौरभ पुत्र जगपाल निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1-ओमप्रकाश पुत्र दरियाब, 2-अंकित, 3-चाँदवीर, 4-सौरभ पुत्रगण ओमप्रकाश निवासीगण ग्राम लूम्ब थाना छपरौली ने उसके व उसके भाई के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की, जिससे उसके भाई को गंभीर चोटें आयीं तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 209/23 धारा 323/504/506/308 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 209/23 धारा 323/504/506/308 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

ओमप्रकाश पुत्र दरियाब निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री हरिजेश कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2-है0का0 410 राजवीर सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 13.09.2023

थाना चांदीनगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

रोहताश पुत्र लख्खी निवासी ग्राम मन्सूरपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सलीम अहमद थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-है0का0 215 धीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।